भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3401
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

21वें विधि आयोग का गठन

3401. एडवोकेट अद्दूर प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21वें विधि आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यूनियन कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग के गठन का अनुमोदन कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) 22वें विधि आयोग के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी संसदीय समिति से संबंधित विभागों की रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है जो भारतीय विधि आयोग के समक्ष अभी भी जांच के लिए लम्बित पड़ी हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी हां, भारत के 21वें विधि आयोग की अवधि 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गई ।
(ख) और (ग) : मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के गठन के लिए 21 फरवरी, 2020 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके गठन का विवरण नीचे दिया गया है :

(i) एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष ;
(ii) चार पूर्ण कालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित);
(iii) पदेन सदस्य के रुप में विधि कार्य विभाग का सचिव ;
(iv) पदेन सदस्य के रुप में विधायी विभाग की सचिव ;
(v) पांच से अनधिक अंशकालिक सदस्य ;

भारत के 22वें विधि आयोग के गठन के लिए अध्यक्ष, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति परिकल्पित की गई है ।

(घ) : भारत के 21वें विधि आयोग ने विधायी विभाग के एक संदर्भ पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन करवाने के लिए मुद्दों की जांच की, जैसा कि कार्मिक, लोक

शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग की 79वीं रिपोर्ट में निहित है । व्यापक विचार-विमर्श के लिए एक मसौदा रिपोर्ट पब्लिक डोमेन (विधि आयोग की वेबसाइट पर) में रखी गई है ।

****